

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

S.No-100

सं.2010/टेली/15(1)/1

नई दिल्ली, दिनांक 02/01/2013

टेलिकॉम परिपत्र सं. 01/2013

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें

विषय:- पीआरईएम ग्रुप के पदाधिकारियों के लिए सीयूजी सुविधा।

संदर्भ: (i) इस कार्यालय का दिनांक 26.03.2009 का पत्र सं. ई(एलएल)2006/पीआरईएम/3

(ii) बोर्ड का दिनांक 30.10.2012 का पत्र सं. 2012-ई(एससीटी)/I/71/11

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त संदर्भित पत्र (i) के तहत पीआरईएम ग्रुप के अध्यक्ष तथा महासचिवों को उच्च एवं क्षेत्रीय स्तर पर सीयूजी सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी।


2. पीआरईएम ग्रुप के पदाधिकारियों के लिए सीयूजी सुविधा प्रदान करने पर बोर्ड में विचार किया गया है और अध्यक्ष तथा महासचिव को मंडल स्तर पर यह सुविधा प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है। सीयूजी के लिए अधिकतम मासिक सीमा भी संशोधित की गई है और यह निम्नानुसार है:-

अधिकारी का स्तर	प्लान	अधिकतम मासिक सीमा
उच्च स्तर	ए	1000/- रुपये
क्षेत्रीय स्तर	बी	800/- रुपये
मंडल स्तर	बी	500/- रुपये

2. पदाधिकारी को एसोसिएशन के लिए निर्धारित एक अलग सिम उपलब्ध कराया जाएगा भले ही पदाधिकारी को किसी अन्य हैसियत से सरकारी सीयूजी नम्बर उपलब्ध करवाया गया हो क्योंकि कार्य की जिम्मेदारियां भिन्न हैं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।



(राकेश रंजन)

निदेशक/ दूरसंचार

दूरभाष 011-23388504, 030-44613

फैक्स: 011-23304690, 030-44690

ई मेल: dele@rb.railnet.gov.in

नई दिल्ली, दिनांक 02.01.2013

सं.2010/टेली/15(1)/1


नई दिल्ली, दिनांक 02/01/2013

प्रतिलिपि प्रेषित:

(i) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।

(ii) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली

(46 अतिरिक्त प्रतियां सहित)



कृते वित्त आयुक्त/ रेलवे